



107

न्यायालय श्री मान् राजस्व मॉडल ग्वॉलियर, सर्किट कोर्ट रोवा, जिलारो वामो प्रो

नगरानी प्रकरण क्रमांक / 20 16

231



R5078 II/16

अजनी कुमार मिश्रा तनय श्री मागीरथी मिश्रा निवासी ग्राम भैसरहा, तहसील

रामपुर नैफिन जिला सीधो म० प्र० निगरानी कारा

विरुद्ध

- 1- बाबूलाल तनय गंगाचर्मीकार
- 2- सुखलाल तनय गंगाचर्मीकार दोनों निवासी नणा ग्राम भैसरहा, तहसील रामपुर नैफिन,

जिला सीधो म० प्र० नगरनिगराकारगण

श्री. स. ज. मिश्रा द्वारा आज दिनांक 15-2-16 प्रस्तुत किया गया

सिडर सर्किट कोर्ट रोवा

नगरानी अंतर्गत धारा 50 म० प्र० मूराजस्व संज्ञिता सन 1959 विरुद्ध आवेश श्रीमान् कले सीधो जिला सीधो के राजस्व प्रकरण क्र० 39/ निगरानी/ 1998-99 मे पारित आवेश दिनांक 8 फरवरी 2016 ई०।

मान्यवर, अधीन निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है:-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आवेशविधि एक प्रक्रिया के विपरीत होने से काविल निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का ठीक डंग से अवलोकन नहीं किया मात्र सरसरी तौर पर प्रकरण को देखी है प्रश्नाधीन आवेश पारित किया है यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का ठीक डंग से अवलोकन किया गया होता तो प्रश्नाधीन आवेश कदापि पारित व प्रतारित नहीं किया जाता।

सुब्ब





4

107

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.5078-NA/16 जिला- सीधी

अंजनी अमर मिश्रा विरुद्ध बाबूलाल

(1)	(2)	(3)
16-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>अंजनी अमर मिश्रा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला <u>सीधी</u> के प्रकरण क्रमांक <u>29/निगरानी/1998-99</u> में पारित आदेश दिनांक <u>08.02.16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, सीधा संभाग सीधा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>29.03.19</u> को कमिश्नर, सीधा संभाग सीधा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	नी/